

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)21/भामाशाह/डीईएस/पार्ट- II/2017/

दिनांक: 27.06.2018

आज्ञा

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 की धारा 17 के तहत अधिसूचना क्रमांक: एफ17(1)21/भामाशाह/डीईएस/पार्ट- II/2017 दिनांक 27.06.2018 द्वारा भामाशाह प्राधिकरण का गठन हो चुका है, जिसके क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 अनुसार निम्न को भामाशाह प्राधिकरण में नियुक्त किया जाता है तथा यह प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 18 अनुसार शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा:-

क्र.सं.	नाम/पदनाम	प्राधिकरण में पद
1.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रभारी सचिव, वित्त विभाग	शासकीय सदस्य
3.	प्रभारी सचिव, आयोजना विभाग	शासकीय सदस्य
4.	प्रभारी सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	शासकीय सदस्य
5.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	शासकीय सदस्य
6.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर शासकीय सदस्य
7.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर शासकीय सदस्य
8.	महानिदेशक, भामाशाह प्राधिकरण	सदस्य सचिव

उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) अनुसार गैर-शासकीय सदस्यों का कार्यकाल उनके कार्यग्रहण दिनांक से 3 वर्ष या राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत तक (during the pleasure of the State Government) जो भी पहले हो, रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से



(अखिल अरोरा)


प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ17(1)21/भामाशाह/डीईएस/पार्ट-11/2017/

दिनांक: 27.06.2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर समस्त, राजस्थान।
6. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, तिलक मार्ग, जयपुर।
7. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
8. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला, समस्त जिले।
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव